



2026:AHC:17888

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट याचिका - बी संख्या - 5362/2025

अनिरुद्धयाचिकाकर्ता(गण)
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्यप्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : धीरेंद्र सिंह, संतोष कुमार
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस न्यायालय की असाधारण अधिकारिता का आवाहन अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रार्थना के साथ किया है:-

"1. परमादेश की प्रकृति की रिट, आदेश या निदेश जारी कर चकबंदी अधिकारी सदर-1, मऊ, जिला: मऊ (प्रत्यर्थी संख्या 2) को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया जाए कि वाद संख्या 0142/2019, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या 2019551551020142, राज्य बनाम बलचंद एवं अन्य, जो उ.प्र.सी.एच अधिनियम, 1953 की धारा 9ए(2) के अंतर्गत दायर है, की सुनवाई हो और उसे माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समयबद्ध अवधि के भीतर विनिश्चित किया जाए।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि उ.प्र. जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 9ए(2) के अंतर्गत आवेदन वर्ष 2019 से लंबित है, इस तथ्य के बावजूद कि विपक्षी पक्ष पहले ही उपसंजात हो चुका है और मामला अंतिम विनिश्चय के लिए तैयार है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को उपरोक्त मामले के शीघ्र निस्तारण हेतु निदेश जारी किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
5. उपरोक्त परिप्रेक्षा में, इस मामले को लंबित रखने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, अतः इस न्यायालय को यह उचित प्रतीत होता है कि वर्तमान रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, चकबंदी अधिकारी (प्रत्यर्थी संख्या 2), जिनके समक्ष उपरोक्त मामला निस्तारण हेतु लंबित है, को यह निदेश देते हुए वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाए कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से अधिमानतः पाँच माह की अवधि के भीतर उक्त मामले का शीघ्रता से निर्णय करें।
6. यह अपेक्षित है कि इसे विधि के अनुसार, सकारण और आख्यापक आदेश द्वारा, संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, किसी भी पक्षकार को अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना विनिश्चित किया जाए।
7. उपरोक्त निदेश के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

22 जनवरी, 2026

प्रियंका

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)